न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक R-3562-J सन् 2014

नरेन्द्र निगम तनय श्री प्यारेलाल निगम
निवासी ग्राम ठकुर्रा, तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.) —— आवेदक

बनाम

म. प्र. शासन —— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 179/ स्व. प्रेरणा निगरानी/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 से दुखी होकर ।

श्रीमान् जी,

सेवा में आवेदक निम्न आधारों सहित यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

(1) यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भूमि आराजी नं. 1244 में से रकवा 1650 हैक्टेयर भूमि मौजा ठकुर्रा तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) की बंजर भूमि को अधिक परिश्रम कर आवेदक के द्वारा काबिल कास्त बनाया गया है और कब्जे के आधार पर दखिल रहित विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के तहत आवेदक को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो चुके थे उसी आधार पर आवेदक के द्वारा विधिवत् आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय गौरिहार के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि 02.10.1984 के पूर्व से मुझ आवेदक का कब्जा चला आ रहा है । मुझ आवेदक को कब्जे के आधार पर भूमि

आज दि. 21-10-14 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-10-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3562 एक/2014 जिला छतरपुर नरेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 179/स्व.प्रेरणानिगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-10-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य

7.1.19